न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी, आर.ए.एस

अनवान :– राजस्व वाद प्रकरण संख्या 11/2024

राकेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) **....वादी**

–:: बनाम –::

(1). पृथ्वीराज पुत्र श्री हुकमाराम } जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतूही
(2). श्रीमती मधु पत्नी श्री पृथ्वीराज } तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(3). किरण चौधरी {पुत्री पृथ्वीराज} पत्नी श्री अनिल मुण्ड जाति जाट निवासी चक 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (राज0)

(4). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर (राज0)। **— प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी, एडवोकेट, विजया जोशी एडवोकेट — वादी
2. श्री विजय कुमार भाटी एडवोकेट ...प्रति. सं. 1 से 3 की ओर से
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय –::

दिनांक :– 13 मई, 2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि **चक 1 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर**
तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष
2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 34/49 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 22, 47/18 की कुल 7.350 है.
नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम के नाम
11027/22050 यानि 3.6756 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। वादी के
पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी हुकमाराम पुत्र
थानाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात विरास्त इन्तकाल संख्या 351 दिनांक 24/11/2014 के द्वारा प्रतिवादी
संख्या 1 व वादी की दादीजी व वादी की बुआजी को प्राप्त हुई तथा वादी की बुआजी सन्तोष पुत्री पृथ्वीराज
द्वारा अपने हिस्सा का हकत्याग नामान्तरण संख्या 520 दिनांक 22/03/2024 को वादी के पिताजी के हक
में हक परित्याग किया हुआ है। इस प्रकार वादी के पिताजी के नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि विरास्तन
जायदाद है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है।
वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से
3 ने पारस्परिक सहमति से **चक 1 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी**
अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त
खाता संख्या 34/49 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 22, 47/18 की
कुल 7.350 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम
के नाम 11027/22050 यानि 3.6756 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.837 है. कृषि भूमि घरेलू
बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुआ तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी काबिज काश्त है। इस घरेलू
बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना
जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस

कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है । प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15/03/2024 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन व प्रतिवादी सं. 2 वादी की माताजी होने के कारण पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी सं. 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन है, चूंकि पक्षकारान के मध्य बैंक ऋण की राशि को लेकर कोई विवाद नहीं है, इसलिए बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) यहकि **चक 1 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 34/49 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 22, 47/18 की कुल 7.350 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से** वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम के नाम 11027/22050 यानि 3.6756 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक **में से 1.837 है. कृषि भूमि** वादी **राकेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)** की घोषित की जावे।

(ख) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो तस्दीक किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया तथा उक्त कृषि भूमि वादी की घोषित करने में सहमति जाहिर की । प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ, स्टेट जवाब में अंकित कथनानुसार भूमि विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है, राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वाद पत्र में वर्णित भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है जिसके बारे में कोई विरोधाभासी कथन नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।

हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिताजी की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत विभाजन करवा सकता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतित होता है तथा आदेश दिया जाता है।

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(... टेक) श्रीगंगानगर

–:: आदेश ::–

अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 1 ई बड़ी ार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 माबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 34/49 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 22, /18 की कुल 7.350 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम के नाम 11027/22050 ति 3.6756 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.837 है. कृषि भूमि वादी राकेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है एवं शेष कृषि भूमि पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम की यथावत रखी जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतू स्टाम्प प्रस्तुत किये जाने पर देशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में ल दरामद करे उक्त वर्णित भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैर मुमकीन) एवं ऋण भार की स्थिती पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जीतू कुलहरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर।

डिक्री
(Order 20 rule 6-7CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— जीतू कुलहरी, आर.ए.एस

उनवान :— राजस्व वाद प्रकरण संख्या 11/2024

राकेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

...वादी

—:: बनाम —::

(1). पृथ्वीराज पुत्र श्री हुकमाराम } जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतूही
(2). श्रीमती मधु पत्नी श्री पृथ्वीराज } तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(3). किरण चौधरी {पुत्री पृथ्वीराज} पत्नी श्री अनिल गुण्ड जाति जाट निवासी चक 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (राज0)

(4). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर (राज0)।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र संख्या 11/2024
अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट टैक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता ऋषिपाल जोशी एडवोकेट व विजया जोशी एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता विजय कुमार भाटी एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से उपस्थित पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:—

वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 1 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071—2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 34/49 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 22, 47/18 की कुल 7.350 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम के नाम 11027/22050 यानि 3.6756 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.837 है. कृषि भूमि वादी राकेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र हुकमाराम की यथावत रखी जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...... शुन्य ....वास्ते .... शून्य .....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय पर मय ब्याज ......शून्य ....दर .... ..वार्षिक .....शून्य .... आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

यह कि डिक्री आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जीतू कुलहरी)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर।